राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
अंकेक्षण अनुभाग

विषयः—प्रशासनिक विभागों द्वारा जारी की जाने वाली सहायता अनुदान स्वीकृतियों में नियमानुसार उपयोजन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शर्त अंकित करने के संबंध में।

प्रधान महालेखाकार कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया है कि सहायता अनुदान हेतु जारी किये जाने वाले स्वीकृति आदेशों में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार स्वीकृत राशि का उपयोजन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने संबंधी शर्त अंकित नहीं किये जाने के कारण स्वीकृत राशि का उपयोजन प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती। इसी प्रकार जिन स्वीकृति आदेशों में उपयोजन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शर्त अंकित की जाती है उनमें भी आगामी किश्त जारी करते समय पूर्व में प्रदत्त सहायता अनुदान के उपयोजन प्रमाण पत्र प्राप्त होना सुनिश्चित नहीं किया जाता है।

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार अनुदान स्वीकृत करने के प्रत्येक आदेश में उसका उद्देश्य, जिसके लिए अनुदान दिया गया है तथा उस अनुदान से सहबद्ध शर्तों, यदि कोई हो, का उल्लेख किया जाना अपेक्षित है। विशिष्ठ प्रयोजनो के लिए दिये जाने वाले प्रत्येक अनुदान को निर्धारित समय में स्वीकृत उद्देश्य पर खर्च किया जाना तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में सहायतार्थ अनुदान की स्वीकृति तथा उपयोग के संबंध में अन्य निर्देशों का भी उल्लेख है।

इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा समसंख्यक पत्र दिनांक 22.10.2019, 04.11.2020 तथा 18.05.2021 द्वारा भी अनुरोध किया गया था किन्तु विभागों द्वारा इसकी पालना नहीं की जा रही है। अतः पुनः अनुरोध है कि संस्था/विभाग/निकायों के निजी निक्षेप खातों में राशि हस्तांतरण हेतु प्रशासनिक विभाग में प्राप्त प्रस्तावों पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधानों की पालना, बकाया उपयोजन प्रमाण पत्रों, संस्था के निजी निक्षेप खाते/बैंक खातों में उपलब्ध राशि व पूर्व स्वीकृतियों में अंकित की गई शर्तों की पालना की समीक्षा की जाकर आगामी किश्त की राशि जारी किये जाने के प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किये जाये। साथ ही, प्रशासनिक विभाग द्वारा जारी की जाने वाली स्वीकृतियों में नियमानुसार उपयोजन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शर्त अंकित कराया जाना भी सुनिश्चित किया जावें।

(नरेश कुमार ठकराल)
विशिष्ठ शासन सचिव, वित्त (व्यय)

अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
..........समस्त..........विभाग,
राजस्थान जयपुर।

अ.शा. टीप. क्रमांक : प.3(1)वित्त/अंकेक्षण/2019
जयपुर दिनांक : 17-09-2021
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हक.), राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (जी.एण्ड टी.) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–1, 2, 3, 4, 5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग, जयपुर को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(ऋतु गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव